जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर
(Website : www.jaipurdiscom.in Tel. & Fax No. 0141-2747036)

क्रमांकः जेपीडी/मुकाअ/उनिका(मुख्या.)/प्रे. 1193 जयपुर, दिनांकः 10-6-2014

आदेश

विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु निगमों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की अध्यक्ष डिस्कॉम्स एवं तीनों विद्युत वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेशकों के स्तर पर की गई समीक्षा बैठक में विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया कि शून्य दुर्घटना लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विद्युत तंत्र को और सुदृढ किए जाने एवं कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दुर्घटना हेतु उत्तरदायी बनाए जाने की आवश्यकता है। विद्युत तंत्र को सुदृढ करने हेतु दिनांक 16.06.2014 से 14.08.2014 के मध्य विशेष रखरखाव कार्यक्रम (Special Maintenance Program) चलाया जाएगा, जिसके अन्तर्गत निम्न कार्य प्राथमिकता से सम्पन्न किए जाएंगे–

1. ढीले व नीचे लटकने वाले विद्युत तारो को कसना।
2. झुके हुए खम्बों को सीधा किया जाना तथा टूटे हुए खम्बों को बदलना।
3. दो खम्बों के बीच लाइन की उचित दूरी (line span) बनाए रखने हेतु अतिरिक्त खम्बा लगाना।
4. जमीन से विद्युत तारों की उचित ऊंचाई सुनिश्चित करना।

विद्युत दुर्घटनाओं की पूर्ण रोकथाम हेतु कर्मचारियों एवं आमजन द्वारा सुरक्षा निर्देशों की पालना एवं तकनीकी कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा साधनों का व्यावहारिक तौर पर प्रयोग किया जाना नितान्त आवश्यक है, अतः सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिशीघ्र प्रत्येक तकनीकी कर्मचारी को हेलमेट, इन्सूलेटेड शूज, अर्थिंग चेन आदि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त सभी तकनीकी कर्मचारियों द्वारा कार्य के दौरान सुरक्षा साधनों का प्रयोग करने, लाईन के लिखित शट–डाउन के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ करने व कार्यस्थल पर दोनों तरफ लाइन अर्थ करके ही कार्य करना भी सुनिश्चित करे। सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता होने पर तकनीकी कर्मचारी कार्य सम्पन्न करने हेतु बाध्य नहीं होंगे।

विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सकारात्मक व सराहनीय प्रयास किए जाने तथा 15.08.2014 से 14.08.2015 के मध्य शून्य दुर्घटना वाले वृतों, खण्डों एवं उप खण्डों को उचित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

इसके अतिरिक्त संभागीय मुख्य अभियन्ताओं एवं वृत अधीक्षण अभियन्ताओं के द्वारा अधीनस्थ अभियन्ताओं व तकनीकी कर्मचारियों की नियमित बैठकें आयोजित कर उन्हें दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में संवेदनशील (Sensitize) बनाने पर जोर दिया जाएगा। किसी भी कर्मचारी अथवा सामान्यजन की विद्युत दुर्घटना के लिए सम्बन्धित वृत के अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता एवं लाइन पार्टी इन्चार्ज सीधे तौर पर उत्तरदायी होंगे तथा एक ही क्षेत्र में दुर्घटना की पुनरावृत्ति होने पर सम्बन्धित दोषी सहायक अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध सुरक्षा निर्देशों की अवहेलना के लिए अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

10/6/2014
(आर. जी. गुप्ता)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर/जोधपुर.
2. मुख्य/अति./उप मुख्य अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम,
3. सचिव (प्रशासन), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर,
4. मुख्य लेखाधिकारी ( ), जयपुर डिस्कॉम,
5. अधीक्षण अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम,
6. अधीक्षण अभियन्ता (आई. टी.), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को कम्पनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
7. अधिशासी अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम,
8. उपनिदेशक कार्मिक/कार्मिक अधिकारी, ( ), जयपुर डिस्कॉम,
9. वरि. लेखाधिकारी /लेखाधिकारी, ( ), जयपुर डिस्कॉम,
10. सहायक अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम,
11. ~~जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर,~~
12. निजी सहायक– अध्यक्ष डिस्कॉम्स/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (वित्त)/निदेशक (तकनीकी), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।

(बी.पी. पारीक)
मुख्य कार्मिक अधिकारी